यौन हिंसा की रिपोर्ट करना

आपका विकल्प, आपकी आवाज

यौन हिंसा एक डरावना एहसास होता है, और यह एक अपराध है। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की यौन हिंसा हुई है, तो हो सकता है कि आप इसकी सूचना पुलिस को न देना चाहें या इसके बारे में किसी को बताना न चाहें। आपको यह लग सकता है कि कोई भी सहायता नहीं कर पाएगा, या यह कि कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। यदि आप अस्थायी वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में नए आए व्यक्ति हैं या आपके आस-पास सुरक्षित लोग नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप यह भी न जानते/ती हों कि रिपोर्ट कैसे करनी है या आपको रिपोर्ट करने में भय महसूस हो सकता है।

डर और चिंता महसूस करना सामान्य है, लेकिन आप अकेले/ली नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं और रिपोर्ट करने से आपको इस सहायता के संपर्क में लाया जा सकता है।

रिपोर्ट करना एक विकल्प है, जिसे आप चुन सकते/ती हैं। रिपोर्टिंग प्रक्रिया आपको यह कहने का अधिकार देती है कि आपके साथ जो हुआ था, उसे आप अपने शब्दों में बयान करें और यह प्रक्रिया दूसरों के साथ यौन हिंसा न होना सुनिश्चित करने में मदद करती है।

मुझे रिपोर्ट क्यों करनी चाहिए?

कुछ लोगों को पुलिस को रिपोर्ट करने और कानूनी व्यवस्था के माध्यम से न्याय की मांग करने से बहुत राहत मिलती है। अन्य लोग यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को दण्ड दिया जाए।

यदि आप एक वयस्क हैं और आप एक ऐसे बच्चे को जानते/ती हैं जो यौन शोषण का सामना कर रहा है, तो हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट उनके लिए सहायता पाने का एकमात्र अवसर हो।

यौन हिंसा की रिपोर्ट करना उस स्थिति में आपको आगे और नुकसान से बचाने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित कर सकता है, यदि आपको यह पता है कि आपको किसने नुकसान पहुंचाया है। उदाहरण के लिए, पुलिस आपकी ओर से एक **आशंकित हिंसा आदेश (Apprehended Violence Order, AVO)** जारी कर सकती है, ताकि उस व्यक्ति को आपके साथ संपर्क करने और आपके आस-पास आने से रोका जा सके जिसने आपको नुकसान पहुँचाया है।

आप अपनी रिपोर्ट करने में गुमनाम बने रह सकते/ती हैं।

यदि आप चाहें, तो आप किसी भी समय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को बंद कर सकते/ती हैं।

यदि आप कोई जानकारी नहीं देना चाहते/ती हैं, तो आपके लिए वह जानकारी देना आवश्यक नहीं है।

मैं रिपोर्ट कैसे करूँ?

यदि आप तत्काल खतरे में हैं, तो आपातकालीन सेवाओं को 000 पर कॉल करें।

1. यदि आप चाहें, तो सहायता प्राप्त करें

रिपोर्ट करने से पहले, हो सकता है कि आप किसी से इस बारे में बात करना चाहें कि आपके साथ क्या हुआ था। यदि आपका कोई विश्वसनीय मित्र या परिवार का सदस्य है, तो आप उन्हें सुनने के लिए कह सकते/ती हैं। आप **NSW यौन हिंसा हेल्पलाइन जैसे विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकते/ती हैं (1800 424 017 पर कॉल करें)।**

2. अपनी जानकारी तैयार करें

आक्रमण के बारे में जितनी हो सके उतनी अधिक जानकारी तैयार करें, जैसे कि तिथि, समय, स्थान, और आपको नुकसान पहुँचाने वाले व्यक्ति के बारे में आपके पास कोई भी जानकारी। यह व्यक्ति एक अजनबी हो सकता है या यह आपका कोई परिचित हो सकता है, और यहां तक कि आपका पति, आपकी पत्नी या आपके माता/पिता भी।

आपको जो चोटें लगी हैं, उन्हें, और आक्रमण से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी को दस्तावेजित करें।

3. पुलिस के पास यौन हिंसा की रिपोर्ट करें

यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए कोई समय सीमाएँ नहीं होती है। भले ही यौन हिंसा अतीत में हुई हो, आप फिर भी अभी इसकी रिपोर्ट कर सकते/ती हैं।

आप पुलिस स्टेशन में यौन हिंसा की रिपोर्ट कर सकते/ती हैं। अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन का पता लगाने के लिए वेबसाइट पर खोज करें। एक बार जब आप रिपोर्ट कर देते/ती हैं, तो आप पुलिस से जांच शुरू करने का अनुरोध भी कर सकते/ती हैं।

यदि आप पुलिस को बताना चाहते/ती हैं लेकिन आप किसी से बात नहीं करना चाहते/ती हैं, तो आप यौन आक्रमण रिपोर्टिंग विकल्प के माध्यम से पुलिस को यह बता सकते/ती हैं कि आपके साथ क्या हुआ था। यह एक आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है और हो सकता है कि इसकी जांच नहीं की जाए, लेकिन इससे जो हुआ है उसका रिकॉर्ड बनता है और पुलिस को यौन हिंसा के संबंध में जानकारी मिलती है, जिससे उन्हें अपने पुलिस कार्य में मदद मिल सकती है।

पुलिस के पास आधिकारिक रिपोर्ट करना या पुलिस से बात करना कुछ ऐसा नहीं है, जो आपको करना ही पड़ेगा। यह पूरी तरह से आपका फैसला है। दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करना आपका निर्णय है और केवल आप ही तय कर सकते/ती हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। आपको कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से इसे अंत तक जारी रखने की आवश्यकता नहीं है और आप किसी भी चरण पर प्रक्रिया को बंद करने का चयन कर सकते/ती हैं।

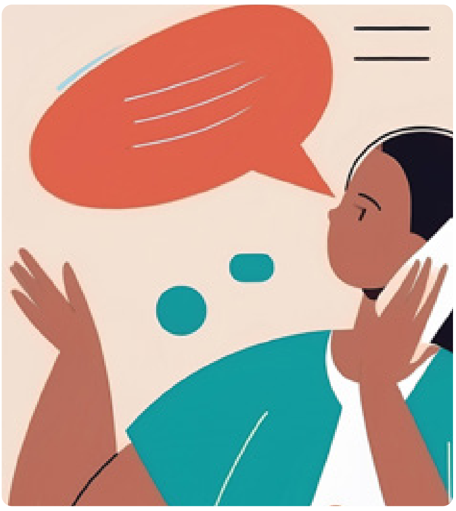

4. यदि आवश्यक हो, तो दुभाषियों और/या अनुवादकों का उपयोग करें

यदि आप चाहें, तो आपके पास दुभाषिया सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। पुलिस आपको भाषांतरण प्रदान करने के लिए नि:शुल्क दुभाषिया सेवा की व्यवस्था कर सकती है। **अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (Translating and Interpreting Service, TIS National)** से **131 450** पर संपर्क किया जा सकता है।

5. किसी ऐसे पुलिस अधिकारी से बात करने का अनुरोध करें, जिसके साथ आपको सहज महसूस हो

पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते समय आप किसी पुरुष या महिला पुलिस अधिकारी से बात करने के लिए कह सकते/ती हैं। कई पुलिस स्टेशनों में बहुसांस्कृतिक संपर्क अधिकारी (कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी भाषा और समुदाय को समझता है) और/या गे एंड लेस्बियन (LGBTIQA+) संपर्क अधिकारी भी होते हैं जिनसे आप बात करने का अनुरोध कर सकते/ती हैं। पुलिस आपका मिलान किसी ऐसे पुलिस अधिकारी से कराने की पूरी कोशिश करेगी, जिसके साथ आपको सहज महसूस हो।

6. बाल यौन शोषण की रिपोर्ट करें

यदि आप जानते/ती हैं कि किसी बच्चे का यौन शोषण किया जा रहा है, तो आपको पुलिस से संपर्क करना चाहिए, लेकिन आपको NSW चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज़ (बाल संरक्षण सेवाओं) को भी **132 111** नंबर पर रिपोर्ट करना चाहिए।

यदि यौन हिंसा किसी दूसरे देश में हुई हो, तो क्या होता है?

यदि आपने किसी अन्य देश में यौन हिंसा का अनुभव किया है और अब आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे/ही हैं, तो आपके साथ जो हुआ था उसके बारे में बात करने के लिए यहां की स्थानीय पुलिस से संपर्क करें और इस बारे में सलाह लें कि क्या किया जा सकता है। यदि संभव हो, तो आपको साथ में उस देश में भी पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए जहाँ यौन हिंसा हुई थी।